

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 1999

S.O. 464(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (6) of section 6 and clause (a) of sub-section (7) of section 7 of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976), the Central Government hereby extends the Oil Fields Regulation and Development Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959 framed thereunder to the continental shelf or, as the case may be, to the Exclusive Economic Zone of India.

[No. L-111/13/97]

T. L. GILL, Director (Legal and Treaties)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 1999

का. अ. 464(अ).— केन्द्रीय सरकार राष्ट्र क्षेत्रीय सागर तेंड महाद्वीपीय मरुतट भूमि, आन्ध्र आर्थिक क्षेत्र और अन्ध सागुप्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 [1976 का 80] की धारा 6 की उपधारा [6] के खण्ड [क] और धारा 7 की उपधारा [7] के खण्ड [क] द्वारा प्रस्तावित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेल क्षेत्र विनियम और विकास अधिनियम 1948 [1948 का 53] तथा उसके अधीन बनाए गए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 का विस्तार व्यापकता भारत के महाद्वीपीय मरुतट भूमि या आन्ध्र आर्थिक क्षेत्र तक करती है ।

[सं. एल. 111/13/97]

टी. एल. गिल, निदेशक (विधि एवं संधि प्रभाग)